तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/7/20	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23-9-20 को पेश हों। [signature]	
13/8/20	पत्रावली मिसल तलबी आवेदन पर आज पेश हुई। वादी एवं प्रति. सं. 1 ता 5 मय वकील उपस्थित। राजस्व मिसल पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। पक्ष० वास्ते बहस [illegible] 8/9/20 को पेश हो।	सुखदेवराम [illegible] प्रतिवादीगण [illegible] 13/8/20 [signature]
8/9/20	पत्र० पेश हुई। वकील उभय पक्ष हाजिर। बहस सुनी गई। पत्र० वास्ते आदेश/निर्णय दिनांक 23-9-2020 को पेश हो।	[illegible] शर्मा [illegible] पटवारी [illegible] हाजिर 2554 [thumb impression] LTI [illegible] प्रकाश
23/9/20	पत्र० पेश हुई। वकील उभय पक्ष हाजिर। वाद वादी डिक्री किया जाता है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। डिक्री जारी हो। पत्र० फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो। [illegible] दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर	[thumb impression] LTI [illegible] [signature]

न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

पीठासीन अधिकारी– सुश्री प्रतिभा (आर.ए.एस.)

दावा संख्या 73 / 2010

सुखराम पुत्र बजरंग लाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम अनोखुं तहसील व जिला सीकर राज0।

वादी

बनाम

1. भंवर लाल।
2. बनवारी।
3. ओमप्रकाश ।
4. महावीर ।

(1–4) पुत्रगण मलूक चन्द

5. साबू देवी पत्नी मलूक चन्द।
   समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण अनोखुं तहसील व जिला सीकर राज0।
6. भूमिधारी तहसीलदार महोदय, सीकर

प्रतिवादीगण

दावा अं0धारा 88, राज0 काश्त0 अधि0 भू0राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक – 23/9/20

वादी की ओर से यह दावा पेश किया गया । वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम अनोखूं तहसील व जिला सीकर की तन में पूराने खसरा नम्बर 238/2 का रकबा 17 बिघा तथा खसरा नम्बर 238/1 का रकबा 14 बिघा 8 बिस्वा व खसरा नम्बर 238/2/2 का रकबा 1 बिघा 6 बिस्वा था। खसरा नम्बर 238/2 मे से दफा 19 आर. टी. एक्ट के तहत वादी के पक्ष में 15 बिघा 14 बिस्वा की खातेदारी दी गयी जिसके खसरा नम्बर 238/2/1 बनाये गये तथा 1 बिघा 6 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

...4 के दादा भरताराम को दी गयी जिसके खसरा नम्बर 238/2/2 बनाये गये। यह की
मूल खसरा नम्बर 238 में से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का दादा भरताराम जो
कि आपस में सगा चाचा भतीजा थे प्रत्येक 16 बीघा 14 बिस्वा पर पृथक पृथक रूप से
काबिज काश्त थे जिसके मुताबिक मूल खसरा नम्बर 238 में से भरताराम की खातेदारी में
238/1 रकबा 14 बिघा 8 बिस्वा व 238/2/2 रकबा 1 बिघा 2 बिस्वा कब्जे काश्त एवं
खातेदारी में रहा, जिसकी ताईद जमाबन्दी सम्वत 2021 से 2024 से होती है। भरताराम की
मृत्यु के बाद उक्त भूमियों का नामान्तरण मलूकचन्द व मलूकचन्द की मृत्यु के बाद वर्तमान
में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 भूमि खसरा नम्बर 238/1 व 238/2/2 पर काबिज है तथा
वादी खसरा नम्बर 238/2/1 पर काबिज काश्त है लेकिन नक्शे में बटा की जमीन
तरमीम नहीं की गयी, मौके पर खसरा नम्बर 238/2/1 पूर्वी भाग था तथा प्रतिवादी
संख्या 1 ता 4 के पिता के कब्जे काश्त में खसरा नम्बर 238/1 व खसरा नम्बर
238/2/2 पश्चिमी तरफ भाग कब्जे काश्त में रहा जिसका कोई विवाद नही है। वर्तमान
पैमाईश के दौरान वादी के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 238/2/1 की जगह का
नया खसरा नम्बर 469 रकबा 3.97 है० बनाया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की
पुराने खसरा नम्बर 238/1 व खसरा नम्बर 238/2/2 की जगह का नया खसरा नम्बर
851 रकबा 3.87 हैक्टर बनाया गया। इसी अनुसार ही वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5
काश्त काबिज है। उपरोक्त प्रकार से नये खसरा नम्बर 469 रकबा 3.97 है० की खातेदारी
कब्जे के मुताबिक वादी के खाते में अंकित होनी चाहिए थी तथा खसरा नम्बर 851 रकबा
3.87 है० की खातेदारी मौके पर कब्जे के मुताबिक प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पूर्वज
मलूकचन्द के नाम से दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन पैमाईश के दौरान राजस्व कर्मचारियों ने
सहवन से कब्जे के विपरीत खसरा नम्बर 469 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 पिता
मलूकचन्द के नाम दर्ज कर दी गयी जिससे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के खातेदारी
अधिकारों पर विपरित असर हुआ है जिसे दुरस्त करवाने का वादी अधिकारी है। यह
पैमाईश के दौरान मौके के विपरित गलत खातेदारी अंकित कर दिये जाने से वादकारण
पैदा हुआ ।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया ।
प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जरिये वकील उपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से
जवाबदावा मय काउण्टर दावा पेश किया जिसमें कथन किया मौके पर खसरा नम्बर 851 वादी के
कब्जे में है तथा खसरा नम्बर 469 वह प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के कब्जे में है, जिसका प्रतिवादी
संख्या 1 से कोई सम्बन्ध नहीं है। वादी के कब्जे काश्त भूमि खसरा नम्बर 238/1 की जगह नया खसरा
नम्बर 851 बनाया गया है व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के खसरा नम्बर 238/1 व 238/2 की जगह
खसरा नम्बर 469 बनाया गया और इसी अनुसार काबिज काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल
मलुकचन्द का दत्तक पुत्र जरूर है लेकिन वह सुगनचन्द के गोद चला गया व सुगनचन्द की विरासत का
नामान्तरकरण भंवरलाल के नाम से भरा गया है तथा मलुकचन्द की विरासत में भंवरलाल का नाम ही दर्ज
नहीं है।

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

वादी की ओर से प्रतिवादी द्वारा जवाब का जवाब उल जवाब पेश किया गया जिसमें कथन किया गया कि भंवरलाल कभी भी सुगमचन्द के गोद नहीं गया। सुगमचन्द की मृत्यु के पश्चात मलुकचन्द व वादी सुखराम ने चल व अचल सम्पतियों को आधी आधी बांट ली थी जिसमें कृषि भूमि भी शामिल थी। वादी सदैव खसरा नम्बर 469 पर काबिज काश्त है। बंटवारे में प्राप्त हुई कृषि भूमि खसरा नम्बर 469 की खातेदारी गलत रूप से पैमाईश के दौरान मलुकचन्द के नाम से दर्ज कर दी गई।

जवाब प्रस्तुत होने के बाद निम्नलिखित तनकियात कायम की गयी

1. आया वादी वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 469 रकबा 3.97 है0, के खातेदारी अधिकारों की उदघोषणा कराने का अधिकारी है ? — बजिम्मे वादी —

2. अनुतोष ?

वादी ने अपने वाद के समर्थन में रिछपाल सिंह पुत्र हरि सिंह, लिछमा पुत्री बंजरग लाल, सुखरान पुत्र बंजरग लाल, भंवर लाल पुत्र सुगनचन्द, महावीर प्रसाद पुत्र मलुकचन्द को साक्ष्य प्रस्तुत किये। इसके पश्चात वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया । राजीनामा के अनुसार ग्राम अनोखू तहसील धोद जिला सीकर के खसरा नम्बर 469 रकबा 3.97 है0 में से उत्तर की ओर 0.1000 है0 भूमि जिसमें 1/2 हिस्सा वादी का एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी का शामलाती रूप से रास्ते के उपयोग उपभोग में रहेगा तथा शेष 3.87 है0 दक्षिणी ओर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के स्थान पर वादी सूखराम के नाम से एवं खसरा नम्बर 851 रकबा 3.87 है0 की खातेदारी वादी के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम से रहेगी । प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल गोद चला गया ।

बहस वकील उभयपक्ष सूनी गई जो राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री किये जाने के अनुतोष की रही। हमने पत्रावली का एवं उपलब्ध राजस्व रिकार्ड में राजीनामे का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । जमाबंदी प्रदर्श 1 के अनुसार खसरा नम्बर 851 की खातेदारी सुखाराम पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राहम्ण सा0 देह राहिन शेखावाटी ग्रामीण बैक धोद के नाम दज है। खसरा नम्बर 469 की खातेदारी मलूकचन्द पुत्र भरताराम जाति ब्राहम्ण सा0 देह के नाम दर्ज है। प्रदर्श–10 मिलान क्षैत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 469 पुराने खसरा नम्बर 238/2/2 मी0 से तथा 851 पुराने खसरा नम्बर 238/2/1 से बनना प्रमाणित है। प्रदर्श–8 के अनुसार पुराने ख0नं0 238/2/1 की खातेदारी सूखाराम पुत्र बजरंगलाल के नाम दर्ज है। प्रदर्श– 6 के अनुसार पुराने ख0 नं0 238/2/1 की खातेदारी मलूकचन्द पुत्र भरताराम के नाम दर्ज है। प्रदर्श–3 नक्शा ट्रेस सम्वत 1989 के अनुसार खसरा नम्बर 238 एक ही खसरा था। प्रदर्श –4 के अनुसार खसरा नम्बर 238 की खातेदारी धारा 19 के तहत सुखराम पुत्र बजरंगलाल व भरताराम पुत्र महादेव के नाम से दर्ज की गई। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद बरूऐ राजीनामा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

आज्ञा

वाद वादी भूमि खसरा नम्बर 469 रकबा 3.97 है0 एवं 851 रकबा 3.87 है0 वाके ग्राम अनोखू तहसल धोद जिला सीकर का राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाकर वादी को भूमि खसरा नम्बर 469 रकबा 3.87 है0 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 में वारिस मलूकचन्द का नाम इजफ किया जाता है। खसरा नम्बर 851 रकबा 3.87 है0 का प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी सूखराम का नाम हजफ किया जाता है। खसरा नम्बर 469 रकबा0.1.000 है0 भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम संयुक्त रूप से रास्ते के उपयोग उपभोग के लिये खातेदारी में रहेगी। तहसीलदार धोद को निर्देशित किया जाता है कि भूमियों के रहन मुक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उपर्युक्तानुसार निर्णय व डिक्री की पालना करें। डिक्री जारी हो।

(प्रतिभा)

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

निर्णय आज दिनांक 23/9/20 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर